न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/05/2026	2026/21	25.02.2026	08.04.2026

1. बंशीराम पुत्र कानाराम जाति मीना निवासी ईन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर – राज०।

——रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध तहसीलदार राजगढ़ इंतकाल सं. 262 आदेश दिनांक 16.02.2022 वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

उपस्थितः–

01.श्री धारा सिंह –वकील अपीलाण्ट

02.श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो.

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर के आदेश दिनांक 16.02.2022 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 262 वाके ग्राम चन्दूपुरा, तहसील राजगढ़ (अलवर) स्वीकार व तस्दीक किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो. को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 1.2000 हैक्टर किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजी भम्बू पुत्र हरचन्दा जाति मीना निवासी ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। उक्त श्री भम्बू पुत्र हरचन्दा को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त श्री भम्बू पुत्र हरचन्दा ने उपरोक्त आराजी का 1/2 हिस्सा जरिये बयनामा दिनांक 21.6.2010 को तथा शेष 1/2 हिस्सा दिनांक 13.06.2012 को अपीलांट को विक्रय कर दी और बयनामा तहरीर करवाकर पंजीकृत करवा दिया और कब्जा आराजी पर अपीलांट का करवा दिया था, जिस पर अपीलांट वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ताईद में फोटो प्रति बयनामा दिनांक 21.06.2010 एंव 13.06.2012 सलंग्न है।

अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट तत्कालीन तहसीलदार राजगढ जिला अलवर द्वारा अन्य लोगों के आवेदन पर प्रार्थी/अपीलांट की उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 173 रकबा 1.2000 हैक्टर किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में से 0.04 हैक्टर भूमि में से होकर एक रास्ता कायम किया गया था जिसका खसरा नम्बर 366/173 रकबा 0.0400 हैक्टर गै. मु. रास्ता कायम किया जाकर न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण संख्या 262 दिनांक 25.1.2022 दर्ज किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 366/173 रकबा 0.0400 हैक्टर को चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज कर वास्ते फैसल हेतु न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के समक्ष पेश किया गया जिसे न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अलवर द्वारा उक्त नामांतकरण को बिना विधिक प्रक्रिया स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 1.2000 हैक्टर वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ में से कायम किया गया खसरा नम्बर 366/173 रकबा 0.0400 हैक्टर को चारागाह व अन्य सामान काम हेतु दर्ज कर दिया साथ हीं प्रार्थी/अपीलांट की खसरा नम्बर 173 रकबा 1.2000 शेष भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 367/173 रकबा 0.2000 हैक्टेयर बारानी सोयम 368/173 रकबा 0.9600 हैक्टेयर बारानी सोयम दर्ज कर उक्त नम्बरान चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु की भूमि दर्ज कर दिया जिसके कारण अपीलांट के हकूक खातेदारी प्रभावित हो गये है।

निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर दिनांक 16.02.2022 बाबत नामांतकरण संख्या 262 दिनांक 16.02.2022 वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ खिलाफ कानूनन मनमाना व कयासिया आधार पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नामांतकरण की कार्यवाहीं एक जुडिशियल कार्यवाहीं है, जिसमें कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है लेकिन नामांतकरण जैसा दर्ज व स्वीकार किया गया है, के अवलोकन से न्यायालय श्रीमान को स्पष्ट होगा कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा कानूनी प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुये नामांतकरण को निर्णित किया है जिसमें अपीलांट की सम्पूर्ण खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 1.2000 हैक्टर को तीन खसरा नम्बर 366/173 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता व खसरा नम्बर 367/173 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 368/1730.9600 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कायम कर चारागाह दर्ज कर दिया है, जिससे अपीलांट के हकूक खातेदारी प्रभावित हो गये है। अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बाबत नामांतकरण संख्या 262 दिनांक 25.01.2022 निर्णय दिनांक 16.02.2022 निरस्तनीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर द्वारा नामांतकरण फैसल करने से पूर्व पत्रावली का अवलोकन व विवेचन किये जाना चाहिऐ था एंव कानूनी प्रावधानो का विधि सम्मतः अवलोकन किया जाना चाहिऐ था उसके पश्चात हीं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामांतकरण का फैसल करना चाहिऐ था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामांतकरण फैसल करने में अहम कानूनी भूल की है जो काबिज गौर अदालत श्रीमान है।

तत्कालीन तहसीलदार राजगढ जिला अलवर द्वारा अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 1.2000 हैक्टर वाके ग्राम चन्दूपुरा में होकर कोई रास्ता कायम किया गया है तो उस रास्ता एंव शेष भूमि को अपीलांट के नाम हीं खातेदारी में दर्ज रखा जाना चाहिऐ था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की उक्त सम्पूर्ण खातेदारी की आराजी को बिना अधिकार खिलाफ कानून चारागाह व सामान्य उपयोग की दर्ज कर राज्य सरकार के नाम खातेदारी में कर दिया है जिससे अपीलांट के अधिकार खातेदारी प्रभावित हो गये है इस कारण उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 16.2.2022 बाबत नामांतकरण संख्या 262 वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ से अपील एक माह की अवधि मे दिनांक 15.03.2022 तक पेश की जानी चाहिऐ थी लेकिन अपीलांट को उक्त नामांतकरण का सर्वथम इल्म दिनांक 12.02.2026 को हुआ जिस पर अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 13.02.2026 को प्राप्त हुयी जिससे अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष अन्दर मियाद पेश है तथा अपील पेश करने में जो देरी हुयी है जो लाइल्मी के कारण हुयी है जिसे कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर न्यायालय श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 16.02.2022 बाबत नामांतकरण संख्या 262 वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

राजगढ (अलवर) को निरस्त किये जाने की कृपा करे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान मुनासिब समझे अपीलान्ट को प्रदान करने की कृपा करे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। चूंकि अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्हें विवादित इंतकाल की जानकारी विलम्ब से हुई और वे प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, अतः न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 173 एक खातेदारी भूमि है, जिसे अपीलार्थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2010 एवं 13.06.2012 के माध्यम से क्रय किया है। कानूनी दृष्टि से किसी भी पंजीकृत खातेदार या क्रेता की भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश, बिना किसी विधिवत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही या बिना खातेदार की सहमति के 'चारागाह', 'रास्ता' या 'राजकीय भूमि' के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता। नामांतकरण एक प्रक्रियात्मक कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य केवल अधिकारों के हस्तांतरण को रिकॉर्ड में दर्ज करना है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ द्वारा नामांतकरण संख्या 262 पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का घोर उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थी (क्रेता/खातेदार) को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। यदि ग्रामवासियों की सुविधा हेतु किसी रास्ते की आवश्यकता थी, तो उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम या भू–राजस्व अधिनियम के तहत विधिवत वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। पूरी की पूरी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 173 रकबा 1.2000 हैक्टेयर भूमि को नए खसरों (366/173, 367/173, 368/173) में विभाजित कर उसे चारागाह व सामान्य उपयोग में दर्ज कर देना पूर्णतः विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इससे अपीलार्थी के विधिक संपत्ति और काश्तकारी अधिकारों का हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 262 वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ़ के संबंध में पारित आदेश दिनांक 16.02.2022 अपास्त/निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर